(7) 9-320/010

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

04-06-2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–320/2010 में आवेदक **श्री अजय कुमार**, पिता–श्री रामचन्द्र सिंह, सा0–घोरहुऑ, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना से प्राप्त एक .315 बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। इनके पिता द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–154/1976 पर धारित रायफल को अपने पुत्र श्री अजय कुमार के नाम स्थानान्तरण करना चाहते हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–335/गो0, दिनांक–05.04.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पिता श्री रामचन्द्र सिंह के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–154/1976 पर धारित रायफल को अपने पुत्र को स्थानान्तरित करने हेतु आग्रह किया गया है। इनके पुत्र के खिलाफ थाना अभिलेख में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है। इनका आसन्न खतरा संभावित है। थाना स्तर से निगरानी रखी जा रही है। थानाध्यक्ष, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। इनके पिता द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–154/1976 पर धारित शस्त्र रायफल को अपने पुत्र श्री अजय कुमार को स्थानान्तरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

(9) 9-320/0/0

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–**V-11016/16/ 2009,** शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक .315 बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–**V-11016/16/2009,** शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अजय कुमार, पिता–श्री रामचन्द्र सिंह, सा0–घोरहुऑ, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना के आवेदित एक .315 बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(signature) 04/6/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

(signature) 04/6/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।